न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
92/2021/प्रा.पत्र/2021	16.11.2021	28.07.2022

डॉ. मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक .... प्रार्थी

बनाम

1–श्री सतीश मित्तल पुत्र श्री मुरलीधर मित्तल एफ.बी.ओ. मैसर्स दिनेश एजेन्सीज कटला गेट उनियारा जिला टोंक राज. निवासी वार्ड नं. 18 खारी कुई के पास उनियारा जिला टोंक राज.

.... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफएसएसए एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अप्रार्थी अनुपस्थित ।

:–निर्णय–: **दिनांक 28.07.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.09.2021 को समय 04:01 पीएम पर मैसर्स दिनेश एजेन्सीज कटला गेट उनियारा जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहाँ पर श्री सतीश मित्तल पुत्र श्री मुरलीधर मित्तल मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सतीश मित्तल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थ के साथ 250–250 ग्राम के 6 नग पॉली पैक **ड्राई फ्रूटस किशमिश मंगल ब्राण्ड (Dry Fruits Raisin Mangalam Brand)** दुकान में स्थित काउन्टर में रखे हुए थे जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री सतीश मित्तल को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री सतीश मित्तल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **ड्राई फ्रूटस किशमिश मंगल ब्राण्ड (Dry Fruits Raisin Mangalam Brand)** वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 250–250 ग्राम के 4 नग पॉली पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 250–250 ग्राम के 4 नग पॉली पैक कुल 1 किलोग्राम **ड्राई फ्रूटस किशमिश मंगल ब्राण्ड (Dry Fruits Raisin Mangalam Brand)** को 250 ग्राम को बराबर–बराबर 1–1 नग (एक भाग 250 ग्राम) को ज्यों का त्यों कागज

(न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक)

1914

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

के गत्ते के 4 डिब्बों में बराबर–बराबर भरकर डिब्बों के ढक्कन से अच्छी तरह एयरटाईट बंद किया एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2900 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2900 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

खाद्य पदार्थ **ड्राई फ्रूटस किशमिश मंगल ब्राण्ड (Dry Fruits Raisin Mangalam Brand)** का नमूना कय करते समय श्री सतीश मित्तल पुत्र श्री मुरलीधर मित्तल एफ.बी.ओ. मैसर्स दिनेश एजेन्सीज कटला गेट उनियारा जिला टोंक राज. ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/3054 दिनांक 14.10.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट स. एल.एस./1091/एक्ट/2021/1078 दिनांक 24.09.2021 के अनुसार विकेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया गया **ड्राई फ्रूटस किशमिश मंगल ब्राण्ड (Dry Fruits Raisin Mangalam Brand)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विकेता/फर्म के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ परन्तु अप्रार्थी न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुआ और ना ही उनकी ओर से कोई अभिभाषक उपस्थित हुए। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **ड्राई फ्रूटस किशमिश मंगल ब्राण्ड (Dry Fruits Raisin Mangalam Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के से लिया गया **ड्राई फ्रूटस किशमिश मंगल ब्राण्ड (Dry Fruits Raisin Mangalam**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Brand) का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर शास्ति रूपये 1,50,000/- (अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 28.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज 28.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0